

कार्यालय ग्राम पंचायत-

निकास स्थल - साराज

जनपद-

ग्राम

मजुरी

गांधीजी

दिनांक 7/6/23

निष्पत्ति:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

महाना

अवगत ग्रामा ८ के दिनांक 7/6/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली टैंक की गयी। ये उक्त ने ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लम्बापाल, पार्षदिक/जूलहाईस्कूल के प्रधानाधार्य, भव्याधक, शिक्षापित्र, ऑफिसर्स/कार्यकर्ता/मानियका, कोटदार, ५०५०५०५० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त टैंक में ग्राम पंचायत सर्विच द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विधार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नियांसित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा नियांसित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिनार के एक्षिया हार्ग दी गयी सहमति पर्यंत संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के विधानाधन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

इन अनुसार है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कागजाही कराने का काट वारे।

संलग्नक: परिवारों द्वारा सुस्तानित सहमति पत्र।

महाना

सिंह

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Vrindavan(U.P.)

प्रधान
ग्राम पंचायत
नियास
ग्राम पंचायत
योजना (उत्तर)

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो याम समुदाय की 'जीवन सुगमता' के बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. वे प्रस्तुत किए जाने से पहले याम समाज में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तयारी की तारीख: 7/1/23

ग्राम समाज में अनुमोदन की तारीख: 28/7/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: भृगु

ग्राम पंचायत का नाम: भृगु

बसाँक का नाम: आदान

ज़िला का नाम: गाजीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मधेशी कुँडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • बाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति आवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्खा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदसे जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मौठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____ %, प्रधालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नियन्त्रण करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पैप ७२५ ईन सप्टेंबर २०२३

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: रामचंद्र

लिंग: पुरुष

आयु:



संकल्प

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

III. सामाजिक विवरण

6. वर्तमान वर्ष में जनसंख्या:	वर्तमान जनसंख्या का अनुमान जनसंख्या 2011 के अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान	वर्तमान जनसंख्या का अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान प्रत्यायोगिक अनुमान
-------------------------------	--	---

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घण्टा - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घण्टा
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्यवर्ती संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि पासल पैटर्न: _____

प्रमाणित पासल	निपटना	प्रत्यायोगिक
प्रमाणित पासल	निपटना	प्रत्यायोगिक

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 160 6 180 611. स्थानांकति (समतल, दृश्यान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ
(‘याम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ
(‘याम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

1.	प्रत्यायोगिक व्यापार का वर्णन			
2.	आगंतवारी			
3.	समास्थ्य वर्तन			
4.	ग्राम पश्चायत वर्तन			
5.	प्रत्यायोगिक व्यापार			

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 145.11 के.एल.डी.

मरेजियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 75.11 के.एल.डी.

मरेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 3

नध्यज्ञती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 118.11 के.एल.डी.

अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 82.5 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकात/धक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पेटने, पानी की उपलब्धता को सामान्य प्रवृत्ति: 100

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकिया, रेत गाहियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: 100

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: नहीं, है, 21250122, टिमाइ युआ०

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की धौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____

21. सेनिट्रो निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (खोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

पानी की वर्तमान आवश्यकता	पानी की उपलब्धता	पानी की गुणवत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता
पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता	पानी लाठी गत्ता

कपड़े धोने / स्फान करने का स्थान

23. यह समावना है कि गाँव के कुछ गारीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्फान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान
पानी की उपलब्धता	पानी की संख्या	पानी की स्थान

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भड़ारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): ५२०१ के,एल.टी.अलग-अलग स्रोतों गड़ठो वाले परिवारों की संख्या: २०उन परिवारों की संख्या जिन्हे स्रोतों गड़ठो की आवश्यकता है: २५आवश्यक सामुदायिक स्रोतों गड़ठो की संख्या: २क्या अपशिष्ट तबछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ / नहीं): ८यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिधारित किया गया है: अभी नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस क्षणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती उन.आर.टी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेटोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेटोफिटिंग लाकि इसे डे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निधारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल स्ट्रिंग वाटर/ स्थानीय या परातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले विन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर वित्तीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- गिनी सौर ऊर्जा आवारित एस.डब्ल्यू.एस. जो एकान्ता/आदिवासी बसिस्तयों में स्थित हैं

28. अभिनिधारित जल स्रोत: ताल

तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: पाल्टे ७९५८० ५१३१५इस योजना के लिए अभिनिधारित शुल्क: ३३६ ५२०५८० २१८ ५५४४० ८०५वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: २०२१।।योजना की लागत: २०८०८०५५५ भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: Xसमुदाय का हिस्सा: १०।। व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रचालन व रख-खाल शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिधारित एस.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभायित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिधारित योजनाओं के प्रस्ताव में जाने हैं।)

प्रस्तावित योजना	कलापना	उपलब्ध वातानुपायों की	प्रस्तावित
प्रेषण-द्वारा प्रयोक्ता योजना	प्रेषण-द्वारा स्वचालित विभाग	प्रेषण-द्वारा लालन-प्रयोग संस्थान विभाग	प्रेषण-द्वारा लालन-प्रयोग संस्थान विभाग
प्रयोक्ता योजना	प्रयोक्ता योजना मेल-जोल	प्रयोक्ता योजना लालन-प्रयोग संस्थान विभाग	प्रयोक्ता योजना लालन-प्रयोग संस्थान विभाग



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग में संसाधन विभाग	संभावित नियिकाएँ और शुरू की जा सकती हैं वाटरशेड प्रबंधन/ आरडब्ल्यूएच/ कृषि पुनर्जीवन, जल नियन्त्रण का निर्माण/ वृद्धि आदि।	प्रस्तावित विधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आरडब्ल्यूएच.पी.)	मूल संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आरडब्ल्यूएच/ कृषि पुनर्जीवन, जल नियन्त्रण का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल अंडारी की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोदय	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के बी बड़े)	कृषि, सहकारिता और विकास काल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.बड़े)	कृषि, सहकारिता और विकास काल्याण मंत्रालय	जल की अधिक उपलब्धता वाली विशेषज्ञ फलालों के लिए सूखमन्सिचाई वा प्राप्तियान, एकीफस्टे से जल की नियन्त्रणी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण	वन्यजीवन, वन और जलवायु प्रोटोकॉल मंत्रालय	वनीकरण, वन परिस्थितिकी तरफ का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.बड़े)	कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय	आरडब्ल्यूएच, योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षण	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूली और पेयजल आपूर्ति का प्राप्तधारा	
आवासीय जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन नियिकों के तहत जल संरक्षण नियिकाएँ	
जिला स्थनिक विकास नियिका (टी.एम.ए.टी.) एम.पी.एल.ए.टी.	राज्य	वडे पैमाने पर जल संरक्षण नियिकाएँ	
एम.एस.ए.एल.ए.टी.	साइंसिकी और कार्यक्रम कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीएलटी)	अंतर्राष्ट्रीय अवसरण	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय भासलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरण	
दलदाता/प्रायोजक			

आधिका का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.डी.टी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि उम्मीद है): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का आधिका पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकलीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. अमीत ५१६७ = ९४८३४४४२६३
2. रमेश = ९९४५२४५०५३
3. पूरा = ७०५२४२२३४७
4. रमेश = ९४० २५०० ७१
5. रमेश २५१ = ९५६५२२६७१।

पप ऑफरेटर का नाम और फोन नंबर:

